(ब) टंकण गति जांच परीक्षा में जहां सामान्य उम्मीदवारों को १.१/२ प्रतिशत गलतियों की छूट का लाभ अनुमान्य है, वहां अनुसूचित जाति /जन-जाति के सदस्यों को २ प्रतिशत गलतियों की छूट का लाभ दिया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि उक्त निर्णय तुरत लागू कर इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

२— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / मुख्य वन संरक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/— रामचन्द्र घोषाल

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या—१०/परी०—६०३/७६. का०— ६५३ / पटना, दिनांक ३१ मई, १९७८।

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

२— अनुरोध है इसकी १००० प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

ह०/—अस्पष्ट

(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या— ६५३ / का०— पटना, दिनांक ३१ मई, १९७८।

प्रतिलिपि— सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / मुख्य वन संरक्षक, बिहार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :

ह०/—अस्पष्ट
(रामचन्द्र घोषाल,)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या— ६५३ / का— पटना, दिनांक ३१ मई, १९७८।

प्रतिलिपि— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं प्रशासनिक शाखा) को सूचनार्थ एवं एतद्नुसार सचिवालय अनुदेश के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशाखा-II) को सूचनार्थ एवं आवश्यक करर्वाई हेतु प्रेषित।

(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव।

Part XXII—Recruitment to class IV posts.

बिहार सरकार,

नियुक्ति विभाग।

पत्र संख्या—३ आर १—१०३/७० नि०—१३९८४, पटना—१५, दिनांक १७ अगस्त, १९७१।

सेवा में,

सभी विभागों के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी

विषयः— आदेशपाल, पहरेदार, जैसे चतुर्थवर्गीय पदों के लिये नियुक्ति का आधार—

नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या-३ / आर १-१०३ / ७० नि० ४२३४, दिनांक [illegible] ([illegible]) का आंशिक रूप में संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर आदेशानुसार सूचित करना है कि अब से आदेशपाल, पहरेदार, पिऊन जैसे चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिये निम्नलिखित [illegible]।

(क) उम्मीदवार स्वस्थ हो। इसके लिये शरीरिक परीक्षण हो।

(ख) उम्मीदवार साइकिल चलाना जानता हो।

(ग) उम्मीदवार को पढ़ने-लिखने का समुचित ज्ञान हो जिससे कि वे [illegible] हस्ताक्षर कर सकें और संचिकाओं का विषय पढ़ सकें।

२। यदि कोई उम्मीदवार साइकिल चलाना नहीं जानते हों पर अन्यथा योग्य हों तो उनके इस [illegible] के बाद कि वे एक महीने के अन्दर साइकिल चलाना सीख जायंगे उनके मामले पर भी विचार किया जा सकता है।

ह०/[illegible]

रामानन्द सिंह,

सरकार के [illegible]

सूचनार्थ—

पत्र संख्या—३ /आर १—७३/नि० —४२३४।

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग ।

———

प्रेषक,

श्री सच्चिदानन्द सिंहा,

सरकार के मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी विभागों के सचिव / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलायुक्त/जिला पदाधिकारी ।

पटना—१५, दिनांक १०—१—७० ।

विषय :— अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं में केवल लिखित परीक्षा ही होने का निर्णय तथा मौखिक साक्षात्कार की व्यवस्था का अन्त ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल पर ही आधारित रहेगी । उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा एवं साक्षात्कार की व्यवस्था अब से नहीं रखी जाय ।

अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के पूर्व मौखिक परीक्षा लेने के संबन्ध में भी निदेश पहले निर्गत किये गये हैं जो एक आदेश द्वारा अवक्रमित किये जाते हैं ।

विश्वासभाजन,

ह०/ सच्चिदानन्द सिंह,

१०—१—७० ।

सरकार के मुख्य सचिव ।

संकल्प संख्या ३/आर० १-१०३/७३—७२६६-का० ।

बिहार सरकार ।

कार्मिक विभाग ।

—: संकल्प :—

पटना—१५, दिनांक १६ मई, १९७३/२६ वैशाख १८९५ (श) ।

विषय—चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया ।

श्रेणी—४ के पदों पर नियुक्ति में एकरूपता नहीं है, पदों पर नियुक्ति की कोई मानक जांच भी विनिहित नहीं है । उदाहरणस्वरूप, जहाँ कारा विभाग में वार्डर की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय कारा के अधीक्षक होते हैं, वहाँ पुलिस और उत्पाद-कर सिपाही की नियुक्ति व्यक्ति विशेष के द्वारा होती है । पुनः वार्डरों, पुलिस सिपाहियों और उत्पाद-कर सिपाहियों के सम्बन्ध में शारीरिक जांच तो अनिवार्य कर दी गई होती है, किन्तु शारीरिक जांच का कोई स्पष्ट मापदण्ड नहीं है ।

२. अतः सम्यक् विचार करने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि चतुर्थवर्गीय पदों पर चयन के मामले में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इन पदों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाय—

(क) वैसे पद जिनमें पुलिस, कारा, उत्पाद-कर, बी० एम० पी० सिपाही और वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) जैसे वर्दीधारी फोर्स आते हैं, और

(ख) अन्य कोटियाँ ।

३. प्रथम कोटि के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि—

(क) वर्दीधारी फोर्स की नियुक्ति केवल शारीरिक माप और शारीरिक जांच के आधार पर की जाय चूंकि सरकार पहले ही यह विनिश्चय कर चुकी है कि श्रेणी ३ और ४ के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अन्तर्वीक्षा नहीं ली जायगी । प्रत्येक उम्मीदवार के शारीरिक माप और शारीरिक जांच का उल्लेख अलग-अलग किया जाय ।

(ख) पुलिस सिपाहियों, बी० एम० पी० सिपाहियों, उत्पाद-कर सिपाहियों, वार्डरों और वनरक्षियों के पद पर संयुक्त सूची से भर्त्ती की जाय ।

(ग) इच्छुक उम्मीदवारों को हरेक जिला-मुख्यालय में बुलाया जाय और शारीरिक माप और शारीरिक जांच करने के बाद, हरेक जिला के लिये उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची तैयार की जाय । उम्मीदवारों की संख्या प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या से लगभग दुगुनी होगी ।

(घ) समिति में अध्यक्ष के रूप में सम्बद्ध क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा सदस्य के रूप में, प्रमंडल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बी० एम० पा० के वरिष्ठ कमांडेंट, उप-आयुक्त, उत्पाद-कर, प्रमंडल के वरिष्ठ जिला वन पदाधिकारी और अधीक्षक, केन्द्रीय कारा और यदि एक से अधिक

केन्द्रीय कारा हो तो वरिष्ठ अधीक्षक, रहेंगे। उप-निदेशक, कल्याण को भी समिति का सदस्य बनाया जाय, ताकि समिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदों के आरक्षण से सम्बन्धित सरकारी अनुदेशों को कार्यान्वित करें और उनका हित सुरक्षित रखें।

(ङ) यह समिति नियोजनालयों के माध्यम से [नियुक्ति विभाग के परिपत्र सं० ८१६७, दिनांक २१ जून, १९६६ में यथानिर्देशित (प्रतिलिपि संलग्न] विज्ञापन कराएगी और पूरे प्रमंडल के उम्मीदवारों को शारीरिक माप और शारीरिक जांच की व्यवस्था के लिये जिम्मेवार होगी और योग्यता क्रम से एक सूची तैयार करेगी।

४. अन्य कोटियों के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय है कि—

(क) यथासाध्य उनकी भर्त्ती स्थानीय क्षेत्रों से जिला नियोजनालय के माध्यम से की जाय।

(ख) ऐसे पदों पर भर्त्ती के लिये एक समिति गठित की जाय जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी और सदस्य जिला स्तर के विभिन्न विभागों के ४ वरीय पदाधिकारी हों। जिला कल्याण पदाधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सरकारी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) इस कोटि के लिये भी कोई अन्तर्वीक्षा नहीं होगी किन्तु समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति विभाग के पत्र संख्या ३/आर० १-१०३/७० ए—१३९८४, दिनांक १७ अगस्त, १९७१ (प्रतिलिपि संलग्न) अपेक्षानुसार निर्णय करेगी।

(घ) जिला के सभी विभागों के लिए एक संयुक्त सूची होगी और विभागों से अपेक्षा की जायेगी कि वे इसी सूची से ही पदों को भरें।

आदेश – आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में इसे प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, रांची, सचिव, लोक सेवा आयोग, सरकार के सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय।

२. यह व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

पी० के० जे० मेनन,

सरकार के मुख्य-सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/आर० १-१०३/७३—७५६६-का० ।

पटना—१५, दिनांक १६ मई, १९७३/२६ वैशाख, १८९५ (श) ।

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु अग्रसारित ।

ब्रजभूषण सहाय,
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या ३/आर० १-१०३ / ७३—७५६६-का० ।

पटना—१५, दिनांक १६ मई, १९७३/२६ वैशाख, १८९५ (श)।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है ।

२. अनुरोध है कि इस संकल्प की १,००० प्रतियां मुद्रित कर कार्मिक विभाग को भेजें ।

ब्रजभूषण सहाय,
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या ३/आर० १-१०३/७३—७५६६-का० ।

पटना—१५, दिनांक १६ मई, १९७३/२६ वैशाख, १८९५ (श) ।

प्रतिलिपि—कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं (आवश्यक कार्रवाई के लिये) अग्रसारित ।

(—) नाज प्रशाखा ४ के लिए ।

देवकी नन्दन प्रसाद,
प्रशाखा पदाधिकारी ।

No. सि०-८१६७ ।

GOVERNMENT OF BIHAR.

APPOINTMENT DEPARTMENT

FROM

SHRI K. K. SRIVASTAVA,
SECRETARY TO GOVERNMENT,

To

ALL SECRETARIES TO GOVERNMENT.

ALL HEADS OF DEPARTMENTS.

Pana-15, the 31st Jyaistha, 1888/21st June, 1966.

SUBJECT.—Recruitment to State Government Vacancies through the agency of Employment Exchange.

SIR,

I am directed to say that the question of recruitment to State Government vacancies through the agency of Employment Exchanges in the State has been nnder consideration of the Government for sometime past.

2. It has now been decided that henceforth all recruitments to State Government vacancies will be channelised through the Employment Exchanges, on a compulsory basis, except vacancies that are filled on the recommendations of the Bihar Public Service Commission or by promotion, transfer or deputation. For the rest. other sources of recruitment will be tried only when the Employment Exchanges concerned issue a non-availability certificate,

3. Therefore all such vacancies in State Government establishments to be filled up hereafter should be notified to the nearest Employment Exchange on the prescribed proforma is reproduced on Appendix I to this letter. The vacancies should normally be notified to the concerned Employment Exchange by giving reasonable notice. say minimum of three weeks in respect of vacancies to be notified in the newspapers and ten days in respect of other vacancies. In case of urgent demands, however, the candidates may be called for at a shorter notice. A list of Employment Exchanges in the State together with their respective operation has been reproduced on Appendix II to this letter for guidance of all concerned

4. Employment Exchanges maintain a register of persons who are looking for employment and their names are registered on a free and voluntary bssis. In order, however, to ensure that the best available candidates register with the Employment Exchanges, it has been decided that whenever 5 or more vacancies are notified by any State Government establishment. the Employment Exchange concerned will advertise these vacancies in newspapers. This will also ensure that those who have not registered themselves earlier but are desirous of being considered for the post may also take advantage of this opportunity by registering with the Employment Exchange.

5. When the number of vacancies, to be filled in an establishment is less than 5, the appointing authority, if so desires, may issue an advertisement in the newspaper at his on cost, directing the intending candidates to send their application to the Employment Exchange concerned within a date to be prescribed in the advertisement. The notification of the vacancies together with a copy of advertisement should, however, be sent to the Employment Exchange in the manner as prescribed in paragraph 3 above.

6. The Exchange will only be responsible for submitting names and particulars of suitable candidates to the employing authority for his selection against the vacancy notified by him. Whenever so desired by the employing department, the Employment Exchange concerned will associate a representative of his for screening of applications available with the Employment Exchange for the purpose of preparing a short list of candidates who will be called for interview or other tests

7. It may be noted that from the date of the receipt of these instructions, no application in respect of the vacancies specified in paragraph 2 above should be entertained by an employing authority directly. unless the Employment Exchange concerned issues a nonavailability certificate.

8. Kindly advise local bodies and State enterprises concerned with your department to follow similar procedure in filling up their vacancies .

Yours faithfully.
K. K. SRIVASTAVA,
Secretary to Government,

MEMO. No. नि०-८१६७।

Patna-15, the 31st Jyaistha. 1888/21st June 1966.

COPY together with copies of Appendixes forwarded to (i) all Divisional Dommissioners and (2) all District Officers for information and necssary action.

Secretary to Government.

APPENDIX I.

Form for Notification of vacancies to Employment Exchange.

1. Name and address of employer.
2. Telephone number of the employer, if any.
3. Nature of vacancy—
   (a) Designation ;
   (b) Description of duties;
   (c) Qualifications required—
      (i) Essential;
      (ii) Desirable;
   (d) Age limits, if any;
   (e) Whether women are eligible ?
4. Number of vacancies.
5. Whether temporary or permanent.
6. Pay and allowances.
7. Place of work (name of town/village and district in which it is situated).
8. If liable to be transferred, region within which transfer possible.
9. Probable date by which the vacancy should be filled.
10. Particulars regarding interview/test of applicants—
   (a) Date of Interview/test.
   (b) Time of Interview/test.
   (c) Place of Interview/test.
   (d) Designation and address of the person to whom applicants should report.
11. Whether there is any obligation or arrangement for giving preference to any category of persons in filling up the vacancies ?

*12. Number of reserved vacancies :—
   (a) for scheduled castes candidates.
   (b) for scheduled tribes candidates.

13. Any other relevant information.

---

*Vide G. O. no. 18273 A., dated the 19th December, 1966.

APPENDIX—II

Name and address of Employment Exchange.	Area.
1	2
1. Regional Employment Exchange, Patna.	The district of Patna excluding the Thanas of Mokameh and Sarmera in the district of Patna.
2. District Employment Exchange,Arrah (Shahabad).	Arrah Sadar and Buxar Subdivisions of the district of Shahabad.
3, Employment Exchange, Dalmianangar (Shahabad).	Bhabhua and Sasaram Subdivision of the district of Shahabad.
4. District Employment Exchange, Bhagalpur,	Whole of the district of Bhagalpur.
5, District Employment Exchange, Gaya.	Whole of the district of Gaya,
6. District Employment Exchange, Daltonganj (Palamau).	Whole of district of Palamau.
7. District Employment Exchange Monghyr.	The District of Monghyr excluding the Subdivision of Begusarai in the district of Monghyr.
8. Sub-Regional Employment Exchange, Muzaffarpur.	Whole of the district of Muzaffarpur.
9. District Employment Exchange, Chapra,	Whole of the district of Saran,
10. District Employment Exchange, Katihar (Purnea).	Whole of the disrict of purnea,
11. District Employment Exchange, Motihari (Champaran).	Whole of district of Champaran,
12. District Employment Exchange, Laheriasarai(Darbhanga),	Whole of the district of Darbhanga,
13. District Employment Exchange, Saharsa	Whole of the district of Saharsa

APPENDIX II—contd,

1	2
14. Employment Exchange, Barauni, at Begusarai,	Begusarai subdivision in the district of Monghyr and the Thanas of Mokameh and Sarmera in the district of Patna,
15. Sub-Regional Employment Exchange Jamshedpur.	Dhalbhum subdivision of the district of Singhbhum.
16. District Employment Exchange, Chaibasa (Singhbhum).	Chaibasa Sadar and Saraikella Subdivision of the district of Singhbhum.
17. Sub-Regional Employment Exchange Dhanbad.	Whole of the district of Dhanbad except the Thanas of Sindri, Baliapur, Chandankiari Jorapokhar. Nirsa and Chirkunda in the district of Dhanbad.
18. Employment Exchange, Sindri (Dhanbad)	Thanas of Sindri, Baliapur, Chandankiari, Jorapokhar in the district of Dhanbad,
19. Employment Exchange Kumardhubi (Dhanbad).	Thanas of Nirsa and Chirkunda in the district of Dhanbad.
20. District Employment Exchange, Ranchi.	Whole of the district of Ranchi.
21. District Employment Exchange, Hazaribagh.	The district of Hazaribagh excluding the Thanas of Bermo, Gola, Nawadih, Ramgarh, Gomia, Peterbar and Jeridih in the district of Hazaribagh.
22. District Employment Exchange Dumka (Santhal parganas).	Whole of the district of Santhal parganas.
23. Employment Exchange, Bokaro, (Hazaribagh),	Thanas of Nawadih, Gomia, Bermo, Gola and Jeridih in the district of Hazaribagh.
24. Pilot Employment Exchange, Jharia (Dhanbad).	Only colliery establishments in thanas of Jharia Kenduadih Jogta, Jorapokhar in the district of Dhanbad.
25. Employment Exchange, Patratu (Hazaribagh).	Thanas of Ramgarh and peterbar.
26. Employment Exchange, Maraphari (Hazaribagh).	Thanas of Bermo, Gola, Nawadih, Gomia and Jeridih in the district of Hazaribagh.

पत्र संख्या-[illegible]

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

प्रेषक

श्री ब्रज भूषण सहाय,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सचिव गृह (आरक्षी) विभाग / सचिव, वन विभाग / उत्पाद आयुक्त /आरक्षी महानिरीक्षक / महा-निरीक्षक, कारा / मुख्य वन संरक्षक।

पटना, दिनांक २२ जून, १९७[illegible]।

विषय— चतुर्थवर्गीय पदों के लिये नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार ने कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ३-आर० १—१०३—७३-७२६६-का०, दिनांक १६ मई, १९७३ (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा वर्दीधारी चतुर्थवर्गीय पदों के लिये नियुक्ति की नई प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय लिया है। सरकारी संकल्प की प्रतिलिपि भी सभी विभागों को पहले भेजी जा चुकी है। इस संकल्प के फलस्वरूप आरक्षी, कारा, उत्पादन-कर, बी० एम० पी० सिपाही और फारेस्ट गार्ड चतुर्थवर्गीय वर्दीधारी फोर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन हो गया है। अभी जिस प्रक्रिया के आधार पर इन पदों पर भर्त्तियां हो रही थीं वह प्रक्रिया बिल्कुल ही समाप्त कर दी गयी है और अब जो भी नियुक्तियां होंगी वे नई प्रक्रिया के अनुसार होंगी।

२। कार्मिक विभाग को यह पता नहीं है कि सरकारी संकल्प का कार्यान्वयन विभागों द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है और किस हद तक किया गया है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि अपना प्रतिवेदन कार्मिक विभाग में १० दिनों के अन्दर भेज दें जिसमें यह बतलायें कि भर्त्ती की पुरानी प्रकिया का परित्याग किया गया है और नई प्रक्रिया अभी तक अपनायी गयी है या नहीं।

३. मैं इस बात को फिर दुहरा देना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि अब सम्बन्धित विभागों में वर्दीधारी चतुर्थवर्ग के कर्मचारी, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, की भर्त्ती पुरानी प्रकिया के अनुसार फौरन समाप्त कर दी जाय और अबसे जो भी नियुक्तियां होंगी नई प्रकिया के अनुसार होंगी। नई प्रकिया के अनुसार नियुक्ति करने के लिये विभाग द्वारा तैयारियां एक महीने के अन्दर अवश्य पूरी कर ली जायं और इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को भेज दी जाय।

४। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वर्दीधारी फोर्सों के लिये रेंज स्तर पर जो समिति बनायी गयी है उसके अध्यक्ष रेन्ज के आरक्षी उप-महानिरीक्षक होंगे तथा सदस्य के रूप में अन्य पदाधिकारी होंगे जिनका उल्लेख संकल्प में किया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार गृह (आरक्षी) विभाग तथा आरक्षी महानिरीक्षक को समिति के गठन तथा उसके कार्यान्वयन के लिये विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है। कारा, उत्पाद-कर और वन विभाग से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को यह निर्देश भेज दें कि वे रेन्ज के उप-महानिरीक्षक को यथेष्ट सहयोग दें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें

विश्वासभाजन,

ब्रज भूषण सहाय,

सरकार के सचिव।

पत्र संख्या ४ / संवा०-१०७७ / ७३—१३१८८- का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग ।

प्रेषक

श्री ब्रज भूषण सहाय,

सरकार के सचिव

सेवा में,

आरक्षी उप-महानिरीक्षक (नाम से),

(पांचों रेंज) बिहार. पटना ।

पटना—१५, दिनांक २९ अगस्त १९७३ / ७ भाद्र; १८९५ (श) ।

विषय— चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिये नयी प्रकिया का गठन । योग्यता एवं पात्रता के सम्बन्ध में ।

प्रसंग— कार्मिक विभाग का ज्ञापांक १०८२०, दिनांक १४ जुलाई १९७३ ।

विदेशानुसार कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या १०८२० दिनांक १४ जुलाई १९७३ का कृपया निर्देश करें । उक्त पत्र की कंडिका ७ में कहा गया है कि नयी प्रकिया के अनुसार सूची बनाने का काम सितम्बर १९७३ के अन्त तक अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए । अतः अनुरोध है कि सूची तैयार कर ली जाय ।

२ । स्टाफ की स्वीकृति के लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है । परन्तु उसके लिये नयी प्रकिया के अनुसार सूची बनाने का काम नहीं रुकना चाहिये ।

३ । उपर्युक्त पत्र की कंडिका १३ से सम्बद्ध सूचनाओं का संकलन आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु नीचे दिया जाता है :—

आरक्षी विभाग

१ । पदों के नाम—

(१) सिपाही (जिला) ।
(२) सिपाही (बिहार सैनिक पुलिस) ।
(३) फायरमैन (अग्निशाम) ।
(४) साक्षर सिपाही आपरेटर (बितन्तू) ।

शैक्षणिक योग्यता ;—

(क) १, २, एवं ३ सप्तम वर्ग उत्तीर्ण ।
(ख) कम ४ मैट्रिक (विज्ञान, उच्चगणित के साथ) ।

४ । शारीरिक माप दण्ड—

(क) जिला पुलिस, फायरमैन एवं सिपाही आपरेटर के लिए ।
(ख) लम्बाई ५' ५" सीना ३२ इंच ।
(ग) पूर्णिया निवासी—५' ४" सीना ३१ इंच ।

(घ) छोटानागपुर एवं संथालपरगना के आदिवासी—५' ३"

ङ। बिहार सैनिक पुलिस के लिये —

(१) लम्बाई ५' ७" सीना ३२ इंच।

(२) गुरखा—कोई मापदंड नहीं। सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिये।

(३) पहाड़ीवासी बढ़वाली एवं कमाऊनी—लम्बाई ५' ५" सीना ३२"।

४। वेतनमान २०५—२—२२६ - द० रो०—४ - २५४—५—२८४ रु०।

२। उत्पाद विभाग।

(१) पदनाम—सिपाही उत्पाद।

(२) शैक्षणिक योग्यता—साक्षर।

३। शारीरिक मापदण्ड।

(१) पूर्णिया, मानभूम तथा सिंहभूम जिलों में ऊंचाई ५' ४" तथा छाती ३१ इंच।

(२) दूसरे जिलों में ५' ५" सीना ३२ इंच।

(३) अनुसूचित जाति / जनजाति ५' ३" तथा सीना ३० इंच।

वेतनमान १६५—२—१९५—३—२०४ रु०।

३। कारा विभाग।

(१) पदनाम—कक्षपाल।

(२) योग्यता—साक्षर।

(३) लम्बाई ५' ४" सीना ३२"—३४"।

(४) वेतनमान १९०—३—२२०—द० रो०—३—२४८—४—२५४।

(५) विशेष अवकाश प्राप्त कक्षपाल के पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

४। वन विभाग।

(१) पदनाम—हिन्दी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान तथा अंकगणित का ज्ञान "सप्तम पास"।

(३) लम्बाई ५' ४" सीना ३२"—३४"।

(४) वेतनमान १६५—२०५ रु०।

(५) विशेष ४ घंटे में २५ कि० मी० घूमने की क्षमता।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

विश्वासभाजन,
ब्रज किशोर सहाय
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ४ स्था १०७७ /७३—१३१८८-का०

पटना—१५, दिनांक २९ अगस्त, १९७३/७ भाद्र, १८९५ (श)

प्रतिलिपि समिति के प्रत्येक सदस्य एवं सभी संबद्ध विभाग को सूचनार्थ अग्रसारित।

ब्रज भूषण सहाय
सरकार के सचिव।

मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में वर्दीधारी चतुर्थवर्गीय पद के लिए नियुक्ति के आधार एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिए गए आदेश के कार्यान्वयन के विषय में दिनांक ११ जुलाई, १९७३ को हुई बैठक की कार्यवाही।

निम्नलिखित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हुए :—

(१) श्री पी० के० जे० मेनन, मुख्य सचिव,

(२) श्री ए० यू० शर्मा, सचिव (गृह),

(३) श्री एम० एम० रिजवी, आरक्षी महानिरीक्षक

(४) डा० जे० सी० कुन्द्रा, उत्पादन आयुक्त,

(५) श्री शिवाजी सिंह, आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रशासन),

(६) श्री श्रीवल्लभ शरण, सचिव, कल्याण विभाग,

(७) श्री बी० बी० सहाय, सचिव, कार्मिक विभाग,

(८) पांचों रेंज के आरक्षी उप-महानिरीक्षक।

बैठक के शुरू होने पर मुख्य सचिव ने बतलाया कि वर्दीधारी चतुर्थवर्गीय पद के लिए नियुक्ति के आधार एवं प्रक्रिया में सरकार के द्वारा परिवर्तन किया गया है। उन्होंने नई प्रक्रिया की मूल बातों का उल्लेख किया। पुलिस सिपाहियों, बी० एम० पी० सिपाहियों, वार्डर और वन रक्षियों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक जिला के लिये एक संयुक्त सूची बनाई जायगी और उक्त सूची से उम्मीदवारों की रिक्तियों के अनुसार भर्त्ती की जायगी। इच्छुक उम्मीदवारों को हर जिला मुख्यालय में बुलाया जायगा और शारीरिक माप और शारीरिक जांच के बाद हर जिला के लिए उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची तैयार की जायगी। उम्मीदवारों की संख्या प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के लगभग दुगुना होगा। इस कार्य के लिये समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष के रूप में सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा सदस्य के रूप में प्रमण्डल के वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक, बी० एम० पी० के वरिष्ठ कमांडेंट, उपायुक्त उत्पाद-कर प्रमण्डल, वरिष्ठ जिलाधिकारी और अधीक्षक, केंद्रीय कारा सदस्य होंगे। उप-निदेशक, कल्याण को भी समिति का सदस्य बनाने का निश्चय किया गया है। यह समिति नियोजनालय के माध्यम से विज्ञापन करेगा और पूरे प्रमण्डल के उम्मीदवारों की शारीरिक माप एवं शारीरिक जांच की व्यवस्था के लिये जिम्मेवार होगी।

मुख्य सचिव के द्वारा नई प्रक्रिया के वर्णन के बाद इस प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर उपस्थित पदाधिकारियों को अपना विचार प्रकट करने के लिये कहा गया। उन बिन्दुओं पर कुछ देर विचार-विमर्श हुआ। इसके पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गए :—

(१) रेंज स्तर पर अभी जो समिति का गठन किया गया है उसमें उस रेंज के सबसे वरिष्ठ आरक्षी उप-अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। इस बिन्दु पर आरक्षी महानिरीक्षक ने बतलाया कि जब पैनेल प्रत्येक जिला के लिए अलग-अलग बनाया जायगा तब अच्छा यह होगा कि सबसे वरिष्ठ आरक्षी उप-अधीक्षक को सदस्य न बनाकर समिति जिस जिले के सम्बन्ध में पैनेल तैयार कर रही है उस जिले के आरक्षी उपाधीक्षक को ही इसका सदस्य बनाया जाय। इस प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ।

(२) इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ कि क्या आवेदकों की मांग केवल नियोजनालय द्वारा ही की जाय या बाहर से भी आवेदन आमन्त्रित किये जायं ? सभी का विचार था कि सिपाहियों की भर्त्ती के लिये आवेदन केवल नियोजनालय तक ही नहीं सीमित रखा जाय, बल्कि प्रमुख समाचार पत्रों में भी इसका पूर्ण विज्ञापन हो और बाहर से भी आवेदन आमन्त्रित किये जायं। इस बिन्दु पर सहमति हुई। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस जिले में बहाली हो रही है उस जिले के नियोजनालय से नाम मांगा जाय। इससे स्थानीय व्यक्तियों को भर्त्ती करने में सुविधा होगी।

(३) नई प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी आवेदन-पत्र नियोजनालय द्वारा या बाहर से पैनेल तैयार करने के लिए आमन्त्रित किये जायं वे जिला के आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्राप्त किया जाय। आरक्षी अधीक्षक ही इन अभ्यार्थियों की शारीरिक जांच एवं शारीरिक माप की व्यवस्था करें। जिला के नियोजनालय से भी ऐसी व्यवस्था की जाय कि नियत तिथि को वे अपने नियोजनालय में निबन्धित किये हुए सभी अभ्यार्थियों को शारीरिक जांच एवं शारीरिक माप के लिए जिला आरक्षी अधीक्षक के पास नियत स्थान पर भेज दें। इस प्रक्रिया से यह सुविधा होगी कि नियोजनालय में ही सूची तैयार कर ली जायगी और वह सूची आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में भेज दी जायगी।

(४) विमर्श के दौरान आरक्षी महानिरीक्षक ने इस बात का उल्लेख किया कि उनके विभाग में परम्परा रही है कि जो लोग आरक्षी विभाग में काम कर रहे हैं उनके सम्बन्धियों और लड़कों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय। साथ-ही-साथ जो लोग सेवा-निवृत्त हो गये हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लड़कों को भी बहाली में प्राथमिकता दी जाय। आरक्षी विभाग में बहाली के लिए ३० प्रतिशत पद होम गार्ड के लिये सुरक्षित रखा जाता है। मुख्य सचिव ने कहा कि इसको ध्यान में रखा जाय।

(५) आरक्षी की बहाली के लिए जो अलग प्रक्रिया है उसको कायम रखा जाय।

(६) अपराध अनुसंधान विभाग, अपराध शाखा एवं विशेष शाखा में कुछ खास तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उस तरह के व्यक्ति नियोजनालय से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। आरक्षी महानिरीक्षक को यह स्पष्ट किया गया कि अपराध शाखा एवं विशेष शाखा में नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है और नई प्रक्रिया इन शाखाओं के लिए नहीं है।

(७) समिति द्वारा जो संयुक्त सूची बनाई जायगी वह साधारणतः एक वर्ष के लिए लागू रखी जायगी। यह निर्णय हुआ कि जब तक सूची के सभी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक उस सूची को पुनर्जीवित रखा जाय।

(८) मुख्य सचिव ने सभी पदाधिकारियों से यह कहा कि नई प्रक्रिया द्वारा सूची बनाने का काम सितम्बर, १९७३ के अन्त तक अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मन्त्रिमण्डल ने इसके लिए केवल ३ महीने का ही समय दिया है। चूँकि सितम्बर, १९७३ के बाद से पुरानी प्रक्रिया से बहाली नहीं हो सकती है, अतः नई प्रक्रिया से पैनेल बनाने का कार्य सितम्बर के अन्त तक अवश्य पूरा हो जाय।

(९) नई प्रक्रिया से पैनेल बनाने के सम्बन्ध में रेंज के उपारक्षी महानिरीक्षक और जिला आरक्षी अधीक्षक के कार्यालयों में कार्य बढ़ जायगा। अतः अन्य विभागों से अनुरोध किया गया कि जब पैनेल बनाने का कार्य रेंज स्तर पर हो तब वे अपने विभागों से एक-एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रेंज के उपारक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय में कर दें ताकि उन्हें इस काम में सहायता मिले।

(१०) नई प्रक्रिया के अनुसार पैनेल बनाने के लिये रेंज के उपारक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय में निम्नलिखित तीन पदों का सृजन हो —

(१) स्टेनो टाइपिस्ट — १,

(२) उच्चवर्गीय सहायक— १,

(३) निम्नवर्गीय सहायक— १।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय में एक सहायक आरक्षी उप-निरीक्षक का पद सृजित हो।

(११) मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के चेयरमैन एक साथ बैठकर समन्वय लाने की चेष्टा करें और सम्बन्धित विभाग से सम्बन्ध स्थापित करें।

(१२) वन विभाग के सचिव ने यह बतलाया कि उनके विभाग का जो प्रमंडल है वह सामान्य प्रमंडल के अनुसार नहीं बनाया गया है। बहुत से प्रमंडल ऐसे हैं जिनका विस्तार दो-दो सामान्य प्रमंडलों में है। यह तय हुआ कि वन विभाग के प्रमंडल के सम्बन्ध में सचिव, वन विभाग, सचिव, कार्मिक विभाग से विमर्श कर समस्या को सुलझाएं।

(१३) कार्मिक विभाग को यह कहा गया कि सम्बन्धित विभागों में नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, भिन्न-भिन्न पदों का क्या वेतनमान है और शारीरिक योग्यता तथा शारीरिक माप के सम्बन्ध में जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक जगह संकलित कर सभी रेंज के उपारक्षी महानिरीक्षक के पास भेज दिया जाय जिससे कि कार्य करने में सुविधा हो।

ह० /—पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या ४-स्था०-१०७७/७३—१०८२० का०

पटना-१५, दिनांक १४ जुलाई, १९७३/२३ आषाढ़, १८९५ (स)।

प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कार्रवाइयाँ आरम्भ कर दी जायं ताकि नई प्रक्रिया से सूची सितम्बर के अन्त तक अवश्य तैयार हो जाय।

जीउयुवनी राय,
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

१०७४७

२०-६-७५

संकल्प

विषय :— चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया।

श्रेणी ४ के पदों पर नियुक्ति में एकरूपता लाने की दृष्टि से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—७५६६ १६ मई, १९७३ में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। चूंकि उसमें यह उल्लेख नहीं है कि उक्त श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों की सूची कब तैयार की जाय तथा वह सूची कबतक प्रभाव में रहेगी, अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक जिला में वित्तीय वर्ष के आरम्भ होते ही अप्रील-मई माह में सुयोग्य उम्मीदवारों की एक सूची अन्तिम रूप से तैयार कर ली जाय और इसी सूची से सभी कार्यालयों में पूरे वित्तीय वर्ष में नियुक्तियाँ की जायं।

२— उपर्युक्त संकल्प की कंडिका ४ (ख) में अन्य कोटियों के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित करने की व्यवस्था जिला स्तर पर है, उसके अनुसार समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं। उक्त संकल्प में सन्निहित आदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक कालबद्ध योजना के अनुसार सभी जिलों में कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिला पदाधिकारी के स्थान पर समिति के अध्यक्ष प्रमण्डलीय आयुक्त हों तथा यह समिति निम्न रूप से गठित हो :—

प्रमण्डलीय आयुक्त	अध्यक्ष
जिला पदाधिकारी	सदस्य
जिला कल्याण पदाधिकारी	,,
जिला वियोजन पदाधिकारी	,,
जिला स्तरीय विभिन्न कार्य विभागों के तीन वरीय पदाधिकारी	,,
जिला स्तरीय विकास कार्य से सम्बन्धित विभागों के दो वरीय पदाधिकारी	,,

३— समिति के अध्यक्ष अपने आदेश से प्रत्येक जिला के लिये अपनी अध्यक्षता में अलग-अलग समिति गठित करेंगे और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न विभागीय प्रतिनिधियों का मनोनयन अपने विवेक के अनुसार करेंगे। प्रत्येक जिला की सूची अलग-अलग तैयार की जायगी और इसी सूची से उस जिला के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में अन्य कोटियों के चतुर्थवर्गीय रिक्तियों पर नियुक्तियाँ की जायंगी।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजकीय गजट में इसे प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, रांची, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, सरकार के सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों, सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय

२— यह व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
ह०— (सच्चिदानन्द सिन्हा,)
सरकार के संयुक्त सचिव।

———

ज्ञाप संख्या—३ आर १-३०२/७५का०—१०७४७

पटना-१५, दिनांक ३० ज्येष्ठ, १८९६ (श),
२० जून, १९७५।

प्रतिलिपि—सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, महालेखाकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०— अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

———

ज्ञाप संख्या—३/आर १-३०२/७५ का०—१०७४७

पटना-१५, दिनांक ३० ज्येष्ठ, १८९६ (श),
२० जून, १९७५।

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है।

२— इस संकल्प की १,००० प्रतियां मुद्रित कर कार्मिक विभाग को भेजी जाय।

ह०— अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

GENERAL INDEX FOR REFERENCE

Subject	Part	Page Nos.
Applications for posts, Forwarding of—	XII	321–342
Conduct Rules, Govt. servants—	XIV	346—363
Confidential Remarks, Annual–	I	1–106
Date of birth, correction of–	VI	189–190
Delegation of powers-duties and functions of Officers.	X	224–297
Departmental examination of Secretariat assistants.	VIII	205—210
Departmental proceedings	IX	211—223
Domicile certificate, abolition of-	II	107—114
Efficiency Bar, crossing of- grant of increments	VII	190—203
Ex-servicemen, concessions to–	V	140—188
Freedom fighters, appointed in Govt. service	XIII	343—345
Govt. services and posts, classification of-	XV	364—368
Permission, for attending Colleges etc.	XVI	369–374
Promotion	XVII	374—434
Recruitment and retirement age	XVIII	435– 445
Recruitment to class III posts in Mufassil Offices	XIX	446– 490
Recruitment to Gazetted posts	XX	491—518
Recruitment—		
to posts of Assistant	XXI—A	519—539
to posts of Personal Assistant	XXI—B	540—546
to posts of Typist	XXI—C	547—551
Recruitment to class IV posts.	XXII	552—568
Retirement, compulsory— under rule 74 (a) of Bihar Service Code	III	115—131
Retirement, compulsory,— under rule 74 (b) of Bihar Service Code.	IV	132—140
Seniority, fixation of—	XI	298—320

—o—

GENERAL INDEX FOR REFERENCE

XII

III

IV

XI